

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक :- खा0आ0 (राज्य सेवा)-01/2011 - 1247 / राँची, दिनांक - 05/07/13

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय :-

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय पत्रांक 1479, दिनांक 25.4.2012 एवं स्मार पत्र 2620, दिनांक 08.8.2012 तथा पत्रांक 3616, दिनांक 16.11.2012।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सम्पूर्ण राज्य में लागू झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक 2011 के अन्तर्गत इस विभाग से संबंधित तीन सेवाएँ जिसके लिए नियत समय सीमा निम्नवत् है, के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जो अब तक अप्राप्त है।

क्र० सं०	अधिसूचित सेवा	सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा
1	जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करना।	30 दिन
2	जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित होने पर निलंबन मुक्ति/रद्द करने की निर्णय	90 दिन
3	नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय	60 दिन

अतः अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक 2011 के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों सेवाओं के संबंध में की गई कार्रवाई एवं अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय।

विश्वरामाजन,

(अजय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।